

**कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

Email- Nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax-2767611

पत्रांक:- 1086 /FP/UK/ROAD/26799/2017 दिनांक: देहरादून 22 अक्टूबर, 2019
सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:- जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सिल्क्यारा (शिवगुफा) से मंजगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु। प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/26799/2017

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 24-07-2019

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 24-07-2019 के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, से प्राप्त आख्या के क्रम में बिन्दुवार आख्या सहित निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-

क्र०सं०	आपत्ति	निराकरण
1	In reply following observation have been made. (i) State Govt mentioned reference of letter of this letter dt 21-05-2019 instead of 24-12-2018. (ii) Reply of only 05 points submitted instead of 10 points. (iii) Out of 05 points only first five points match to this office EDS dt 24-12-2018.	
2	It has been observed in many cases in the past also that the proposal is not being examined properly is not being examined properly in the nodal and their letter having wrong referenced no and incomplete/wrong reply. State Govt is requested to kindly submit the proposal to this office after through check.	EDS dated 24-12-2018 आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है (प्रति संलग्न)।
3	इसके अतिरिक्त राज्य सरकार Muck dumping हेतु गैर-वन क्षेत्र का चयन करना सुनिश्चित करें। अभी चार में से मात्र 02 स्थानों पर गैर वन क्षेत्र में कनउचपदह प्रस्तावित है। इसके साथ ही कनउचपदह से प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची पृथक से प्रस्तुत करें।	बिन्दु संख्या-03 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्रस्ताव में 04 डम्पिंग यार्ड चयनित किये गये हैं। जिनमें से 02 डम्पिंग यार्ड वन भूमि में तथा 02 डम्पिंग यार्ड हेतु गैर वन भूमि में स्थित है। चूंकि उक्त स्थल में डम्पिंग यार्ड हेतु गैर वन भूमि उपलब्ध नहीं है, जिस कारण 02 डम्पिंग यार्ड वन भूमि में लिये गये हैं। उक्त चारों डम्पिंग यार्ड में किसी भी प्रकार के वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं, जिसका प्रमाण पत्र पार्ट 1 में additional documents में अपलोड किया गया है।

संलग्नक-यथोपरि।

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(ए०के०गुप्ता)
वन संरक्षक

**कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

Email- Nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax-2767611

पत्रांक:- 1086 /FP/UK/ROAD/26799/2017 दिनांक:देहरादून 22 अक्टूबर, 2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:-जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सिल्क्यारा (शिवगुफा) से मंजगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु। प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/26799/2017

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 24-07-2019

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 24-07-2019 के सम्बन्ध में प्रभागीया वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, से प्राप्त आख्या के क्रम में बिन्दुवार आख्या सहित निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-

क्र०सं०	आपत्ति	निराकरण
1	KML file of CA area is uploaded at para C (ii)-b in place of proposed road.	बिन्दु संख्या-01 के अनुपालन में प्रस्तावित मोटर मार्ग की के0एम0एल0 फाईल आनलाईन पोर्टल के पार्ट । के पैरा C (ii)-b में एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की के0एम0एल0 फाईल पार्ट । के पैरा L(iv-c) में अपलोड की गयी है।
2	Bar chart is not found submitted/upload.	बिन्दु संख्या -02 के अनुपालन में Bar chart पार्ट । के additional information detail के क्रम सं० 09 में अपलोड कर दिया गया है।
3	Name of village mentioned at para B-2.3 is Manjgaon but VLC submitted for Saund and Manjgaon.	बिन्दु संख्या 03 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गाय था कि इस मोटर मार्ग से सौंद एवं मंजगांव जुडते है जिस कारण दोनों गांव की आम सहमति के प्रपत्र संलग्न किये गये है, तदनुसार उक्त दोनों गांव, पार्ट । में B-2.3 (Village wise breakup) में अंकित कर दिय गये है।
4	Overwriting has been found in CA scheme which needs to be corrected.	बिन्दु संख्या-04 के अनुपालन में प्रभाग स्तर से संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना पार्ट ।। के पैरा 13 के additional information detail के क्रम संख्या 03 में अपलोड की गयी है।
5	Comparative statement of various alignment of road is not found uploaded.	बिन्दु संख्या-05 के अनुपालन में Comparative statement of various alignment of road पार्ट । के additional information detail में क्रम सं० 12 में अपलोड किया गया है।

6	Authority letter is not submitted in hard copy.	बिन्दु संख्या-06 के अनुपालन में Authority letter की प्रति संलग्नकर प्रेषित की जा रही है।
7	As per DSS the total area provided is less than the required.	बिन्दु संख्या-07 के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपलब्ध करायी गयी सिविल सोयम भूमि हस्तान्तरित वन भूमि के दोगुने से कम नहीं है।
8	Part V is not submitted in hard copy.	पार्ट V की हार्ड कॉपी प्रेषित कर संलग्न है।
9	Muck disposal plan is not found uploaded.	बिन्दु संख्या-09 के अनुपालन में मक डिस्पोजल प्लान पार्ट I के additional information detail में क्र0सं0 21 में अपलोड किया गया है।
10	Following documents have not been uploaded in web portal- a- Tree enumeration list. b- Aerial distance certificate. c- Work not start certificate.	बिन्दु संख्या-10 के अनुपालन में Tree enumeration list, Aerial distance certificate and Work not start certificate पार्ट I के additional information detail में क्रमशः क्र0सं0 13,09 एवं 14 में अपलोड किये गये हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(ए0के0गुप्ता)
वन संरक्षक